

जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर जिला जयपुर
 सेशन प्रकरण संख्या 92/2023
 सरकार बनाम महेश वगैरह
 एन.सी.वी नम्बर 288/2019

तारीख	पीठासीन अधिकारी के लघु हस्ताक्षर सहित आदेश	आदेश की अनुपालना का संक्षिप्त नोट
17.09.2025	लोक अभियोजक उपस्थित। मुलजिमान महेश सिंह, रवि व बन्टी अनुपस्थित। उनकी ओर से हाजिरी माफी के प्रार्थना पत्र पृथक-पृथक जरियें अधिवक्तागण पेश होने पर आज के लिये स्वीकार किये गये। मुलजिम एलेक्स जरियें विडियों कॉफ्रेन्स उपस्थित। अभियुक्त मनराज जरियें प्रोडक्शन वारन्ट उपस्थित। जिसे इस प्रकरण में न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया। अभियुक्त मनराज के अधिवक्ता उपस्थित है। अभियुक्त नरेश पूर्व से मफरूर है। साक्ष्य अभियोजन में गवाह पी.डब्ल्यु-4 गणेशलाल व पी.डब्ल्यु-5 राजेन्द्र सिंह शेखावत के बयान लिये गये। प्रकरण में जब्तशुदा माल वजह सबूत कांस्टेबल रामवतार नम्बर 10455 पुलिस थाना बगरू साथ लेकर आये। दौराने बयान माल वजह सबूत पर आर्टिकल मार्क किये जाकर बाद बयान बाद रसीद माल पुनः न्यायालय की सील से सीलशुदा कर वापिस लौटाया गया। अभियुक्त मनराज का पूर्व में जारीशुदा स्थाई गिरफ्तारी वारन्ट अदम तामील मंगवाये जाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को तहरीर जारी हों। पत्रावली वास्ते साक्ष्य अभियोजन पूर्व नियत दिनांक 18.09.2025 को पेश हों।	